ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–312/13 1542 /पटना, दिनांक :– 22.9.2020

श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (निगरानी विभाग) द्वारा निगरानी थाना कांड सं0 036/2013, दिनांक 11.07.2013 धारा 13(2)–सह–पठित धारा 13(1)(ई) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने से संबंधित मामला दर्ज करते हुए विभाग को पत्रांक 1466 दिनांक 18.07.2013 द्वारा अवगत कराया गया।

2. उक्त आलोक में श्री सिन्हा को अधिसूचना सं0 599–सह–पठित ज्ञापांक 600 दिनांक 18.02.2014 द्वारा निलंबित करते हुए निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिन्हा के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 603 अनु० दिनांक 18.02.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प संख्या–986 अनु० दिनांक 21.03.2014 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1128 अनु0 दिनांक 13.12.2016 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन, सरकार की छवि को धूमिल एवं प्रतिष्ठा का हनन करने संबंधी गठित आरोप सं0 1, 2 एवं 3 को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमति संसूचित करते हुए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक 3793 अनु0 दिनांक 26.12.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

कालांतर में श्री सिन्हा द्वारा निलंबन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC सं0 18517/2016 में माननीय न्यायालय ने न्यायादेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा विभागीय निलंबन आदेश को निरस्त किया गया। उक्त न्यायादेश दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में LPA सं0 1119/2017 दायर किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के आलोक में श्री सिन्हा को अधिसूचना सं0 3668–सह–पठित ज्ञापांक 3669 दिनांक 22.12.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

5. श्री सिन्हा को दिनांक 30.09.2018 को सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–757–सह–पठित ज्ञापांक 758

दिनांक 18.03.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

6. विभाग द्वारा श्री सिन्हा को द्वितीय बचाव बयान समर्पित किये जाने हेतु दिये गये निदेश के आलोक में श्री सिन्हा के पत्रांक शून्य (पटना) दिनांक 05.01.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। जिसके समीक्षोपरांत श्री सिन्हा द्वारा दिखाये गये कुल आय 1 करोड़ 97 लाख में 1 करोड़ 12 हजार 8 सौ के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य समर्पित नहीं किये जाने के कारण अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन का शून्य पर निर्धारण करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अनुमोदित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 917 अनु0 दिनांक 14.05.2020 द्वारा सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

8. विभागीय शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1391 दिनांक 17.09.2020 द्वारा सहमति संसूचित किया गया है।

अतएव विभागीय निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

(i) पेंशन का शून्य पर निर्धारण।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/9/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 /पटना, दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 पटना/दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 पटना/दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1391 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 पटना/दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6/श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– ग्राम–अरई बेनीनुर, थाना–दनियाँवा, जिला–पटना/वर्तमान पता–4 एम–10 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 पटना/दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–312/13 1543 पटना/दिनांक :– 22.9.2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/9/2020

अपर सचिव

अनु